## 29-04-2023

# दिमासा लिबरेशन आर्मी का सरकार से शांति समझौता

## समाचार पत्रों में क्यों?

उग्रवादी समूह दिमासा नेशनल लिबरेशन आर्मी (डीएनएलए) ने हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और असम के मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा की उपस्थिति में सरकार के साथ एक शांति समझौते पर हस्ताक्षर किये। डीएनएलए असम के दीमा हसाओ जिले में अधिक सक्रिय है।

## त्वरित मुद्दा?

- एमओयू के अनुसार, डीएनएलए हथियार डालेगा और संविधान का पालन करेगा। दिमासा आदिवासी क्षेत्रों के विकास के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार 500-500 करोड़ रुपये प्रदान करेगी।

## ऐतिहासिक पृष्ठभूमि?

- एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किये गए हैं जो DNLA को अपने हथियार डालने और भारत के संविधान का पालन करने के लिये मज़बूर करता है।
- इससे समूह अपने सशस्त्र संगठन को भंग कर देगा, DNLA कैडरों के कब्ज़े वाले सभी शिविरों को खाली कर देगा और मुख्यधारा में शामिल हो जाएगा। कुल 179 DNLA कैडर अपने हथियार और गोला-बारूद सौंपेंगे।
- दिमासा कल्याण परिषद की स्थापना असम सरकार द्वारा राजनीतिक, आर्थिक और शैक्षिक आकांक्षाओं को पूरा करने हेतु एक सामाजिक, सांस्कृतिक एवं भाषायी पहचान की रक्षा, संरक्षण तथा बढ़ावा देने के लिये की जाएगी और यह उत्तरी कछार हिल्स स्वायत्त परिषद (NCHAC) के अधिकार क्षेत्र के बाहर रहने वाले दिमासा लोगों का त्वरित तथा केंद्रित विकास सुनिश्चित करेगा।NCHAC का संचालन दिमासा जनजातीय क्षेत्र में किया जाता है।

## अन्य प्रमुख तथ्य?

### दिमासा राष्ट्रीय सुरक्षा बल

- 'दिमाराजी' के रूप में एक पूर्ण राज्य की मांग में काफी वृद्धि देखने के उपरांत वर्ष 1991 में उग्रवादी दिमासा राष्ट्रीय सुरक्षा बल (DNSF) का गठन किया गया।
- मांग करने वाले समूह ने वर्ष 1995 में आत्मसमर्पण कर दिया, लेकिन इसके कमांडर-इन-चीफ (जेवेल गोरलोसा) ने इससे अलग दीमा हलाम दाओगाह (DHD) का गठन किया।
- वर्ष 2003 में DHD ने सरकार के साथ बातचीत शुरू की, लेकिन इसके कमांडर-इन-चीफ ने ब्लैक विडो (Black Widow) नामक एक सशस्त्र समूह के साथ मिलकर नए DHD-J (जेवेल गोरलोसा) का गठन किया।
- यह समूह हिंसक था और इन्हें काफी समर्थन भी प्राप्त था। वर्ष 2012 इस समूह ने संघर्ष विराम पर हस्ताक्षर किये।

### पूर्वोत्तर भारत के अन्य शांति समझौते

- कार्बी आंगलोंग समझौता 2021
- बोडो समझौता 2020
- ब्रू-रियांग समझौता 2020
- NLFT-त्रिपुरा समझौता, 2019

- समझौता ज्ञापन भारत के संविधान की छठी अनुसूची के अनुच्छेद 14 के तहत एक आयोग की नियुक्ति का भी प्रावधान करता है, जो परिषद के साथ NCHAC से जुड़े अतिरिक्त गाँवों को शामिल करने की मांग की जाँच करेगा।
- अनुच्छेद 244 के तहत छठी अनुसूची स्वायत्त प्रशासनिक विभाग, जिनके पास राज्य के भीतर कुछ विधायी, न्यायिक और प्रशासनिक स्वायत्तता है, स्वायत्त ज़िला परिषदों (ADC) के गठन का प्रावधान करती है।
- **दिमासा नेशनल लिबरेशन आर्मी :-** यह असम के दीमा हसाओ और कार्बी आंगलोंग ज़िलों में सक्रिय एक विद्रोही समूह है।DNLA की स्थापना अप्रैल 2019 में दिमासा आदिवासियों के लिये एक संप्रभु क्षेत्र की मांग करते हुए की गई थी और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये एक सशस्त्र विद्रोह शुरू किया था।
- समूह का उद्देश्य "दिमासा के बीच भाईचारे की भावना विकसित करना और दिमासा साम्राज्य को पुनः प्राप्त करने के लिये दिमासा समाज के बीच विश्वास का पुनर्निर्माण करना" है।

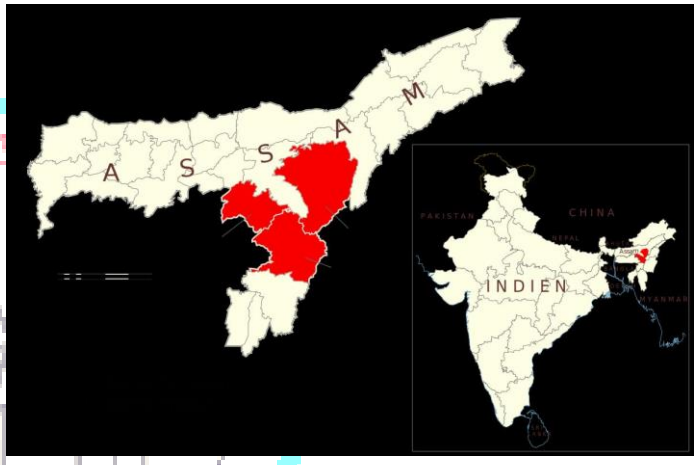


- यह समूह ज़बरन वसूली और कराधान पर चलता है। यह नगालैंड के NSCN (IM) से समर्थन और जीविका प्राप्त करता है।
- दिमासा (या दिमासा-कछारी) असम के सबसे पहले ज्ञात शासक और मूलवासी हैं तथा अब मध्य एवं दक्षिणी असम के दीमा हसाओ, कार्बी आंगलोंग, कछार, होजई एवं नागाँव ज़िलों के साथ-साथ नगालैंड के कुछ हिस्सों में रहते हैं।कुछ इतिहासकार उन्हें "आदिवासी" या "ब्रह्मपुत्र घाटी के सबसे पहले ज्ञात निवासी" के रूप में वर्णित करते हैं।
- अहोम शासन से पहले दिमासा राजाओं- जिन्हें प्राचीन कामरूप साम्राज्य के शासकों का वंशज माना जाता था, ने 13वीं और 16वीं शताब्दी के बीच ब्रह्मपुत्र के दक्षिण तट के साथ असम के बड़े हिस्सों पर शासन किया था।
- उनकी सबसे पुरानी ऐतिहासिक रूप से ज्ञात राजधानी दीमापुर (अब नगालैंड में) थी और बाद में उत्तरी कछार हिल्स में मैबांग थी।
- यह एक शक्तिशाली राज्य था और 16वीं शताब्दी में इसने ब्रह्मपुत्र के लगभग पूरे दक्षिणी क्षेत्र को अपने नियंत्रण में रखा था।
- दीमा हसाओ ज़िला और कार्बी आंगलोंग दोनों को भारत के संविधान द्वारा दी गई छठी अनुसूची का दर्जा प्राप्त है। क्रमशः उत्तरी कछार पर्वतीय स्वायत्त परिषद (NCHAC) और कार्बी आंगलोंग स्वायत्त परिषद (KAAC) द्वारा चलाए जाते हैं।
- स्वायत्त परिषद एक शक्तिशाली निकाय है और पुलिस एवं कानून व्यवस्था को छोड़कर सरकार के लगभग सभी विभाग इसके नियंत्रण में हैं जो असम सरकार के अधीन हैं।
- असम के पहाड़ी ज़िलों, कार्बी आंगलोंग और दीमा हसाओ में कार्बी एवं दिमासा समूहों के विद्रोह का एक लंबा इतिहास रहा है, जो वर्ष 1990 के दशक के मध्य में चरम पर था, यह मुख्य रूप से अलग राज्य की मांग पर आधारित

था।दीमा हसाओ क्षेत्र में अविभाजित असम के अन्य आदिवासी वर्गों के साथ 1960 के दशक में अलग राज्य की मांग शुरू हुई।

- जब मेघालय जैसे नए राज्यों की स्थापना की गई थी, कार्बी आंगलोंग और उत्तरी कछार सरकार द्वारा अधिक शक्ति प्रदान किये जाने के वादे की वजह से असम के साथ बने रहे, जिसमें अनुच्छेद 244 (A) को लागू करना शामिल था। यह अनुच्छेद कुछ जनजातीय क्षेत्रों में असम के भीतर एक 'स्वायत्त राज्य' की अनुमति देता है। इसे कभी लागू नहीं किया गया।

## भारत-यूके नेट जीरो इनोवेशन वर्चुअल सेंटर

### समाचार पत्रों में क्यों?

भारत और यूनाइटेड किंगडम भारत-यूके नेट जीरो इनोवेशन वर्चुअल सेंटर बनाने पर सहमत हुए हैं।

### त्वरित मुद्दा?

- यह केंद्र दोनों देशों के हितधारकों को नवीकरणीय स्रोत के रूप में विनिर्माण प्रक्रियाओं, परिवहन प्रणालियों और हरित हाइड्रोजन के डीकार्बोनाइजेशन जैसे क्षेत्रों में एक साथ काम करने के लिए एक मंच प्रदान करेगा।
- यूनाइटेड किंगडम के मंत्री जॉर्ज फ्रीमैन की उपस्थिति में भारत-यूके विज्ञान और नवाचार परिषद की बैठक की बैठक में विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने इसकी घोषणा की।

### ऐतिहासिक पृष्ठभूमि?

- यह विज्ञान और प्रौद्योगिकी, विशेष रूप से जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण के मुद्दों पर सहयोग बढ़ाने के लिये भारत और यूके की एक संयुक्त पहल है।
- यह दोनों देशों के हितधारकों को एक साथ लाने के लिये एक फोरम प्रदान करेगा ताकि कुछ फोकस क्षेत्रों जैसे निर्माण प्रक्रिया और परिवहन प्रणालियों के डीकार्बोनाइजेशन तथा नवीकरणीय स्रोत के रूप में ग्रीन हाइड्रोजन पर काम किया जा सके।
- यह उत्सर्जित और वातावरण से रिमूव किये गए ग्रीनहाउस गैसों की मात्रा को संतुलित करते हुए शुद्ध शून्य उत्सर्जन प्राप्त करने के लक्ष्य का समर्थन करेगा।
- यह दोनों देशों के बीच ज्ञान के आदान-प्रदान, नवाचार, अनुसंधान और विकास, क्षमता निर्माण तथा नीतिगत संवाद की सुविधा भी प्रदान करेगा।
- भारत-यूके विज्ञान और प्रौद्योगिकी सहयोग:-यूके भारत के दूसरे सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान और नवाचार भागीदार के रूप में उभरा है।

- भारत और यूके के बीच संयुक्त अनुसंधान कार्यक्रम लगभग शून्य से बढ़कर 300-400 मिलियन पाउंड के करीब पहुँच गया है।
- भारत अपनी असाधारण तकनीकी और नवीन क्षमताओं से संचालित एक आर्थिक महाशक्ति बनने की ओर तेज़ी से बढ़ रहा है, विशेष रूप से कोविड वैक्सीन की सफलता के बाद।
- ऊर्जा दक्षता और नवीकरणीय ऊर्जा केंद्रीय स्तंभ है जहाँ भारत सौर गठबंधन और स्वच्छ ऊर्जा मिशन जैसी विभिन्न पहलों के माध्यम से पहले ही नेतृत्व कर चुका है।
- भारत कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिये पर्यावरण प्रदूषण और तकनीकी-आधारित मार्गों के समाधान तथा निगरानी समाधान विकसित करने की दिशा में निरंतर प्रयासों के माध्यम से महत्वाकांक्षी शुद्ध-शून्य लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिये प्रतिबद्ध है।
- यह सहयोग दोनों देशों के आर्थिक विकास के लिये एक साथ नए उत्पादों/प्रक्रियाओं को विकसित करने के लिये भारतीय और यूके शिक्षा तथा उद्योग के लिये एक अवसर प्रदान करेगा।

## सुप्रीम पहल

### समाचार पत्रों में क्यों?

हाल ही में, केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री ने विश्लेषणात्मक उपकरण सुविधाओं (एआईएफ) के उन्नयन और रखरखाव के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए सुप्रीम पहल की शुरुआत की है।

### त्वरित मुद्दा?

- द सपोर्ट फॉर अपग्रेडेशन प्रिवेंटिव रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ इक्विपमेंट (supreme ) सरकार द्वारा अपनी तरह का पहला कार्यक्रम है।

### ऐतिहासिक पृष्ठभूमि?

- यह मौजूदा विश्लेषणात्मक उपकरण सुविधाओं की कार्यात्मक क्षमताओं को बढ़ाने के लिए मरम्मत, उन्नयन, रखरखाव, रेट्रोफिटिंग या अतिरिक्त संलग्नक प्राप्त करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है।
- विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के समर्थन से पहले बनाई गई परियोजनाओं / विश्लेषणात्मक उपकरण सुविधाओं (एआईएफ) के तहत बनाई गई विभिन्न सुविधाओं को ही इस योजना के तहत वित्त पोषण सहायता के लिए माना जाएगा।
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थानों में ऐसी सुविधाएं इस पहल के तहत अनुदान के लिए आवेदन करने के पात्र हैं ।हालांकि समर्थन की अवधि 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।
- स्कीम में फंडिंग पैटर्न सभी निजी और सरकार के स्वामित्व वाले संस्थानों के लिए 75:25 होगा ( राज्य द्वारा वित्त पोषित संस्थानों को छोड़कर जिसके लिए 100% फंडिंग पर विचार किया जाएगा ) ।

- संगठनों की शैक्षणिक और अनुसंधान योग्यताओं के अलावा, प्रस्तावों के मूल्यांकन के लिए अनुसंधान सुविधा के पुनरुद्धार से वैज्ञानिक समुदाय / एमएसएमई / स्टार्टअप को कैसे लाभ होगा, इसका विवरण ध्यान में रखा जाएगा।
- विश्लेषण किए गए नमूनों, प्रकाशनों, पेटेंटों, सुविधा से जुड़े विभिन्न लाभार्थियों / हितधारकों के प्रमाणित रिकॉर्ड और वैज्ञानिक सामाजिक उत्तरदायित्व/ औद्योगिक अनुसंधान एवं विकास घटकों जैसे अन्य मापदंडों पर प्रस्तावों की जांच के लिए विचार किया जाएगा।
- चयन प्रक्रिया एक सहकर्मी समीक्षा तंत्र और यदि आवश्यक हो तो संगठनों की यात्रा के माध्यम से होगी।
- विशेषज्ञ समिति प्रस्तावों का मूल्यांकन करेगी और अंतिम चयन करने में विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग की सहायता करेगी।

## स्टेट ऑफ़ द ग्लोबल क्लाइमेट 2022 रिपोर्ट

### समाचार पत्रों में क्यों?

हाल ही में, विश्व मौसम विज्ञान संगठन (WMO) द्वारा "स्टेट ऑफ़ द ग्लोबल क्लाइमेट 2022" रिपोर्ट प्रकाशित की गयी।

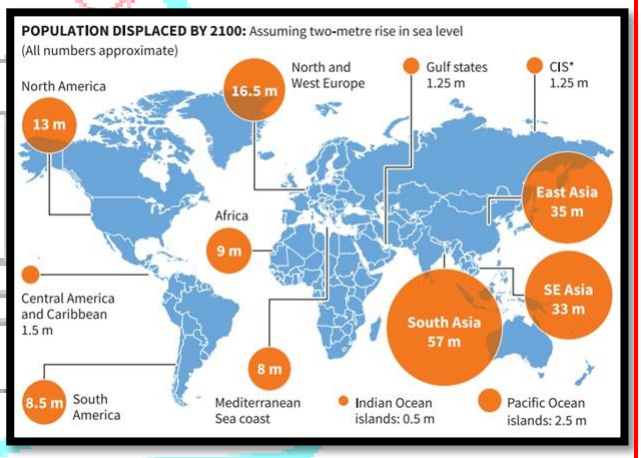


### त्वरित मुद्दा?

- रिपोर्ट के अनुसार, वैश्विक समुद्र स्तर में अभूतपूर्व दर से वृद्धि हो रही है, यदि शमन के प्रयास नहीं किए गए, तो समुद्र के बढ़ते स्तर का मौसम के पैटर्न, कृषि, मौजूदा जल संकट पर विनाशकारी प्रभाव पड़ सकता है।

### ऐतिहासिक पृष्ठभूमि?

- रिपोर्ट में ग्लेशियर के पिघलने, वैश्विक तापमान में निरंतर वृद्धि, ग्रीनहाउस गैसों की सघनता के स्तर, पूर्वी अफ्रीका में सूखे की स्थिति, पाकिस्तान में अभूतपूर्व वर्षा तथा 2022 में यूरोप और चीन में अत्यधिक गर्मी की लहरों जैसे अन्य मुद्दों पर भी प्रकाश डाला गया है।
- रिपोर्ट के अनुसार, सूखा, बाढ़ और गर्मी जैसी चरम मौसम की स्थिति ने मानव जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है और इसके महत्वपूर्ण आर्थिक प्रभाव भी दिखाई दिये हैं।
- अंटार्कटिक में समुद्री बर्फ अब तक की अपनी सबसे कम सीमा तक गिर गई और यूरोपीय क्षेत्र के कुछ ग्लेशियरों के पिघलने की दर भी काफी अधिक है।
- 1990 के दशक से शोधकर्ता और पर्यावरणविद सैटेलाइट अल्टीमीटर की मदद से वैश्विक समुद्र-स्तर की वृद्धि का अनुसरण कर रहे हैं।
- सैटेलाइट अल्टीमीटर राडार पल्स को समुद्र की सतह की ओर भेजते हैं और वे वापस प्रतिबिंबित करने के समय के साथ-साथ उनकी तीव्रता में परिवर्तन को भी मापते हैं।
- यदि समुद्र का स्तर ऊंचा है, तो वापस आने वाला संकेत तेज और मजबूत होगा।

- शोधकर्ता पृथ्वी पर विभिन्न बिंदुओं से इस तरह के डेटा एकत्र करके वैश्विक औसत समुद्र स्तर में परिवर्तन का निर्धारण करने में सक्षम हैं और समुद्र के स्तर में परिवर्तन की दर भी निर्धारित करते हैं।
- रिपोर्ट के अनुसार, समुद्र के स्तर में वृद्धि की दर जो 1993-2002 में 2.27 मिमी/वर्ष थी, 2013-2022 में बढ़कर 4.62 मिमी/वर्ष हो गई है।
- **महासागर के तापमान में वृद्धि-**
  - समुद्र के स्तर में वृद्धि में समुद्री जल के तापमान में वृद्धि का 55% योगदान है।
  - कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य ग्रीनहाउस गैसों की सांद्रता में वृद्धि ने ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ा दिया है इससे समुद्र का तापमान में वृद्धि हुयी है।
  - समुद्र के तापमान में वृद्धि होने के कारण समुद्री जल थर्मल विस्तार से गुजरता है, जिसके परिणामस्वरूप वैश्विक समुद्र स्तर में वृद्धि होती है।
- **ग्लेशियरों और बर्फ की चादरों का पिघलना :-** वैश्विक समुद्र स्तर की वृद्धि में, ग्लेशियरों और बर्फ की चादरों के पिघलने का लगभग 36% योगदान है।
- **भूमि जल भंडारण में परिवर्तन:-**भूमि जल के भंडारण में परिवर्तन का वैश्विक औसत समुद्र स्तर में वृद्धि में लगभग 10% योगदान है।

## अन्य प्रमुख तथ्य?

### वैश्विक समुद्र स्तर में वृद्धि से जुड़ी चुनौतियाँ
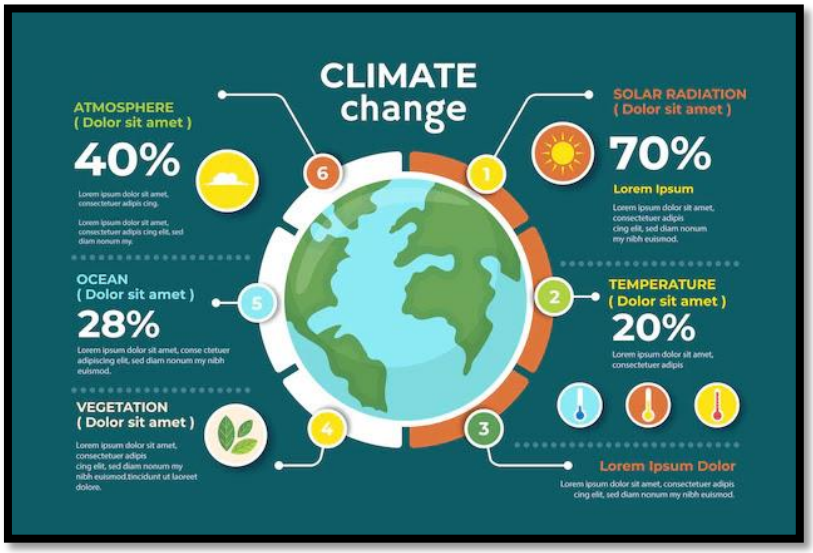
- समुद्र के स्तर में वृद्धि से आने वाले वर्षों में मानव उपयोग के लिए भूमि की भारी कमी होगी जिसका तटीय क्षेत्रों में रहने वाले समुदायों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा।
- समुद्र के बढ़ते तापमान के साथ वैश्विक औसत समुद्र स्तर में वृद्धि से चक्रवातों की संभावना बढ़ जाएगी।
- वैश्विक समुद्र स्तर वर्तमान दर से बढ़ना जारी रखता है, तो इस बात की बहुत अधिक संभावना है कि समुद्री जल जमीन में रिस सकता है, जिसके कारण भूजल अधिक खारा हो सकता है।
- भूजल के खारा हो जाने से जल संकट बढ़ जाएगा और आस-पास के क्षेत्रों में कृषि प्रभावित होगी।
- वैश्विक समुद्र स्तर में वृद्धि के कारण तटीय पारिस्थितिकी तंत्र में नकारात्मक परिवर्तन आ सकते हैं।
- समुद्र के स्तर में वृद्धि तटीय समुदायों को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करेगी, इससे समुदायों की सामाजिक-आर्थिक स्थिरता खतरे में आ जाएगी जो हजारों लोगों के विस्थापन का कारण बन सकती है।